

# केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

परियोजना कार्यालय

4, धौलपुर हाउस, एम.जी. रोड, आगरा

दूरभाष : 0562-2421568, 2421548

दिनांक 12/06/2014

## निविदा फार्म

**विषय:- मासिक एवं सामान्य किराये पर वाहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा सूचना।**

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को कार्यालयीन कार्यों हेतु प्रतिदिन (मासिक किराये पर) एक वाहन की तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर अन्य राज्यों/शहरों/लोकल के लिए भी वाहन की आवश्यकता है।

### 1. निविदा हेतु सामान्य नियम व शर्तें:-

1. मासिक एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर अन्य राज्यों/शहरों तथा लोकल के लिए वाहन की निविदा करें संलग्न प्रपत्र/प्रोफार्मा में प्रस्तुत करें। कुटेशन हेतु प्रारूप वेबसाइट [www.cpcb.nic.in](http://www.cpcb.nic.in) से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
2. मुहरबन्द निविदा इस कार्यालय में दिनांक 30.06.14 सायं 5:00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए।
3. केवल निविदा में प्रस्तुत करें न्यूनतम होने पर ही, फर्म वाहन सेवा आदेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।
4. कुटेशन में प्रस्तुत करें निविदा की तिथि से 90 दिनों के लिए वैध हो।
5. निविदा में कटिंग/ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग/ओवर राईटिंग होने की स्थिति में अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए।
6. इच्छुक फर्म मोहर बंद निविदाएं रजिस्टर्ड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से निर्धारित समयावधि तक प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 04-धौलपुर हाऊस, महात्मा गाँधी मार्ग, आगरा-282001 पर पहुँच जानी चाहिए। इच्छुक फर्म इस कार्यालय के ड्रापबॉक्स में निश्चित समयावधि के अन्दर हाथों-हाथ भी डाल सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय के किसी कर्मचारी को कुटेशन न दें।
7. निविदा दाता को जमानत राशि के रूप में रु. 2,000/- (रुपये दो हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा” के पक्ष में देय हो, जमा करना आवश्यक है। बिना जमानत राशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. केन्द्रीय बोर्ड टेण्डर को स्थगित करने एवं रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. आवेदन कर्ता से अपेक्षा है कि कुटेशन में दिये गये सभी निर्देश, नियम व शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तदानुसार कुटेशन प्रस्तुत करें। निविदा में आवश्यक कागजात व निर्धारित प्रपत्र में कुटेशन न होने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
10. कार्यालय निविदा जमा करने व खुलने की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा के संबन्ध में किसी तरह के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
11. किसी शर्त के साथ प्रस्तुत निविदा बिना किसी कारण बताये अस्वीकृत/रद्द कर दी जायेगी।
12. सलाह दी जाती है कि कुटेशन निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षरित तथा सील युक्त हो, ऐसा न होने की दशा में निविदा बिना किसी कारण बताये अस्वीकृत/रद्द कर दी जायेगी।
13. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद किसी भी कुटेशन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
14. टाईपिंग एवं क्लर्कियल गलतियों को सुधारा जा सकता है।
15. किसी तरह के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम व दोनों पार्टियों को मान्य होगा।
16. वाहन सेवा आदेश का अन्तिम निर्णय निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन / न्यूनतम दर के तुलनात्मक अध्ययन के बाद किया जायेगा।
17. फर्म द्वारा कुटेशन प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा कि फर्म कार्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र में सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करती है।

## **2.वाहन सेवा के संबन्ध में नियम व शर्तें:-**

मासिक एवं आवश्यकतानुसार आवश्यक वाहन सेवा निर्धारित प्रपत्र में वाहन के प्रकार के अनुसार प्रस्तुत करें। प्रस्तुत दरें वाहन अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिए लागू होंगी। अनुबन्ध अवधि कार्यालय के सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन/सहमति के उपरान्त तथा दोनों पार्टियों के सहमत होने पर बढ़ाया भी जा सकता है। अनुबन्ध की अन्य नियम व शर्तें नियमानुसार हैं:-

1. वाहन टैक्सी कोटा के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना आवश्यक है तथा संबन्धित कागज कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। किसी दशा में यदि उपलब्ध कराया गया वाहन टैक्सी कोटा के अन्तर्गत रजिस्टर्ड न होने की दशा में भुगतान स्थगित कर दिया जायेगा तथा किसी भी दशा में भुगतान जारी नहीं किया जायेगा।
2. वाहन में किसी तरह का मरम्मत कार्य होगा तो उसके स्थान पर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। दूसरा वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में कार्यालय किसी अन्य फर्म से वाहन ले सकता है तथा अन्य फर्म को किये गये भुगतान का बिल से कटौती की जायेगी।
3. वाहन सेवा का भुगतान चेक द्वारा व बिल की दो प्रतियों, ड्यूटी स्लिप के साथ में जमा करने तथा सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

4. सरकार द्वारा निर्धारित सेवाकर का नियमानुसार अतिरिक्त भुगतान बिल धनराशि पर किया जायेगा। इसके लिए बिल के साथ चालान सहित जमा किये गये सेवा कर की रिटर्न्स की प्रमाणित कॉपी अवश्य प्रस्तुत करनी होगी। वाहन सेवा हेतु देय टोल टैक्स, पार्किंग आदि का भुगतान बिल के साथ रसीद जमा करने पर दिया जायेगा।
5. बिल से भारत सरकार के नियमानुसार TDS की कटौती भी की जायेगी।
6. एक वर्ष के लिये किये गये अनुबन्ध के उपरान्त भविष्य में ईंधन की दरों में वृद्धि होने की दशा में भी अनुबन्धित दरों में कोई बढ़ोत्तरी मान्य नहीं होगी।
7. वाहन के किमी० एवं समय की गणना कार्यालय/कार्यस्थल से कार्यस्थल/कार्यालय तक की होगी।
8. वाहन की प्रारम्भ से वापसी तक किमी० एवं समय की रीडिंग को कार्यालय के सुरक्षा कर्मचारी के पास दर्ज कराना होगा।
9. वाहन अच्छी दशा में, आरामदायक तथा संतोषजनक चालू स्थिति में होना चाहिए।
10. वाहन का चालक अनुभवी, उचित ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना चाहिए। किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क, रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि के लिए फर्म जिम्मेदार होगी।
11. ड्राइवर, इंश्योरेंस, टैक्स, पेट्रोल/डीज़ल, मरम्मत आदि के सभी भुगतान फर्म को देना होगा।
12. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसी क्षतिपूर्ति या विधिक व्यय आदि की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
13. फर्म को सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नं० का प्रमाण पत्र, पैन नं० की छायाप्रति, कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
14. जिस पार्टी की निविदा स्वीकार की जायेगी उन्हें अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा तथा साथ में रु. 10,000/- की सुरक्षा राशि जमा कराना होगा। दर अंकों एवं शब्दों दोनों में दें। अन्तर की स्थिति में शब्दों का दर ही सही माना जायेगा।
15. निविदा में गैर चयनित वाहन एजेंसियों को जमानत राशि {वाहन एजेंसी चयनित होने या निविदा खुलने की तिथि के दो माह (जो पहले हो) के अन्दर} बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी तथा चयनित वाहन एजेंसी की राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कर ली जायेगी।
16. चयनित वाहन एजेन्सी की धरोहर राशि ही जमानत (सुरक्षा) राशि के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा। करार खत्म होने के पश्चात् यह राशि बिना ब्याज के एजेंसी को वापस कर दी जायेगी।
17. कार्यालय बिना कोई कारण बताये, किसी भी समय वाहन अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित सकता है, जबकि अनुबन्धित फर्म ऐसा नहीं कर सकती है।

(प्रभारी अधिकारी)

**Agency name:** -.....**Address:** -.....

.....

**(A) Monthly Rate:**

Sr. No.	TYPE OF VEHICLE (Model No.)		Monthly Rental	
			Rate per month with 2000 Km running (Rs.)	Rate per Km running (If exceeds 2000 Km/month) (Rs.)
01	Indigo	AC		
		Non AC		

**(B) Daily Rate (Local & Out Station, Rs.):**

Sl. No.	Local duty	Innova/Xylo		Indica		Indigo	
		A.C.	Non A.C.	A.C.	Non A.C.	A.C.	Non A.C.
01	Hiring charges upto 80 Km. in a day (8 hrs. duty) including fuel charges.						
02	Overtime charges per hour above 8 hrs. duty.						
03	Extra Km. charges above 80 Km. running.						
	<b>Outstation Duty</b>						
01.	Charges for outstation duty upto 200 Km. a day.						
02.	Extra Km. charges above 200 Km. running.						
03.	Night halt charges after 10 PM.						

It is confirmed that we have read the terms and conditions stipulated in the quotation document and we undertake to abide by these terms and conditions

Place:

Authorised Signatory

Date:

Seal

Name: